

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग  
अभिगम सेवा संक्षि  
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.16-10/2018/एएस-III/लघु कोड/295/ | 30

दिनांक: 08/09/2021

सेवा में,

सभी अभिगम सेवा प्रदाता।

विषय:- आबकारी विभाग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के नियंत्रण कक्ष को लघु कोड '14405' का अवंटन करने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश में शराब और अल्कोहल के अवैध उत्पादन/बिक्री को रोकने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना करने हेतु आबकारी विभाग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के नियंत्रण कक्ष को लघु कोड '14405' का आवंटन किया जाता है। इस लघु कोड में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी:

- i. श्रेणी-I: सेवा (अर्थात् सभी अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाने वाली सेवा)
  - ii. अभिगम्यता: सीमित अर्थात् स्थानीय सेवा क्षेत्र में।
  - iii. मीटर की जाने वाली सेवा: जिस पार्टी को कॉल किया गया है वह भुगतान करेगी।
  - iv. 1800-180-5331 पर लघु कोड की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
2. सभी संबंधित से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

संचित कुमार गर्ग  
08.09.2021  
(संचित कुमार गर्ग)  
एडीजी (एएस-III)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, यदि कोई हो तो, प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, ट्राई।
2. सीएमडी एमटीएनएल/सीएमडी बीएसएनएल।
3. श्री संथिल पंडियन सी, आबकारी आयुक्त, आबकारी आयुक्त का कार्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को उनके दिनांक 12.08.21 के पत्र सं 487/एक-लेखा/टोल फ्री नंबर टेलीफोन के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ कि हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। नोडल अधिकारी इस संबंध में वरिष्ठ उप महानिदेशक (एलएसए), एलएसए इकाई, संबन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संपर्क कर सकते हैं।
4. निदेशक (पी एवं एन), दूरसंचार विभाग (मुख्यालय), (जब कभी आवश्यक होगा संबंधित एलएसए फील्ड इकाई को हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए संबंधित नोडल अधिकारी और टीएसपी से समन्वय करने को कहा जाए)
5. दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एक प्रति।